

रिपोर्ट पटवारी (संख्या/आदेश/एल0आर0) पौंठ प्रशासन गाँवों के साथ अधिवान 2021  
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार श्रीमान श्री, प्रार्थी द्वारा उक्त दस्तावेज शपथ पत्र  
 आधार की परिवार रजिस्ट्रार व मूल्य उपाय पत्र के आधार पर प्रार्थी की माता का नाम  
 गोविन्द कंवर के स्थान पर जेठे कंवर पाले नारायण सिंह किया जाना उचित है।  
 उस्तावेज

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी  
 दिनांक :- 23/11/21

क्रमांक : राजरव/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्तमाननुसार आवेदक  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अधिशया की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

उक्त किया जागा उचित है

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी  
 तहसीलदार (संख्या)  
 उदयपुरवाटी (संख्या)

23/11/2021

1538  
 23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुंदेलखंड (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (मू0अ0)  
 उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	पौंठ	2075-78	364	गोविन्द कंवर पाले नारायण सिंह	जेठे कंवर पाले नारायण सिंह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 23/11/21

क्रमांक :- राजरव/2020/ 1225-1228  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्तु पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया



उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी